

दिनांक 24.03.2023

वाद पुकारा गया। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग नेगी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0 के0 सहगल उपस्थित। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2. वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 30ग2 बल न देने के आधार पर खारिज किया जाता है।

3. वादी द्वारा अपने वादपत्र में आदेश दिनांक 23.03.2023 के अनुपालन में संशोधन समाहित किया गया।

पत्रावली वास्ते जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 4 से 6/सुनवाई अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 13.04.2023 को पेश हो।

दिनांक 24.03.2023

(योगेन्द्र कुमार सागर)
सीनियर सिविल जज
देहरादून।